(12)	(13)
experience prescribed for direct recruits under column 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).	Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[F. No. A—12011/8/94-ISC]
V.D. ALAM, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

(नारियल विकास बोर्ड)

शुद्धि पत्र

कोची, 7 दिसम्बर, 1995

सा. का. नि. 562:—भारत के दि० 17-6-1995 राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) के पृष्ठ संख्या 1366 —1385 में प्रकाशित अधिसूचना सा. का. नि. 286 दि. 19 मई, 1995 में क्रम संख्या 3 के मद्दे की अनुसूची में कालम 4 के तहत वेतनमान संबंधी वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएं :

"रु. 1200-30-1440-द. रो. 30-1800"

[फा. सं. 23/95 प्र.]

डा. एम. अरविन्दाक्षन, अध्यक्ष

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

(COCONUT DEVELOPMENT BOARD)

CORRIGENDUM

Kochi, the 7th December, 1995

G.S.R. 562.—In the notificaton G.S.R. 286 dated 19th May, 1995 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub Section (i) dated 17-6-1995, appearing on page Nos. 1366-1385 in the schedule against serial No. 3, under column 4 pertaining to scale of pay, for the existing entries the following entries shall be substituted :

"Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800."

[F. No. 23/95—Admn.]

DR. M. ARAVINDAKSHAN, Chairman

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1995

सा. का. नि. 563.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

सत्यापित
23-12-9

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस निर्णय के प्रवर्तन छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	1 (एक)* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-द. रो.-50-2300 रुपये	लागू नहीं होता	नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)।	18—25 वर्ष

टिप्पणी : 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण : 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सत्यापित 03-12-19

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
(1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र । (10+2) या समतुल्य; (2) निम्नलिखित में से किसी एक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा : (ख) टीकाकरण पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम; या (ग) स्वास्थ्य निरीक्षण पाठ्यक्रम; और (3) सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पणी : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पणी : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे विभागीय अधिकारियों में से :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 1350–2200 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (3) जिन्होंने 1320–2040 रुपये के वेतनमान वाले पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की है; या (4) जिन्होंने 1200–2040 रुपये वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ (8) में विहित अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले तारीख किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए आधुनिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

सत्यापित

03-12-19

सहायक नियंत्रक (वाणिज्य)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) उप महानिदेशक (चिकित्सा)—अध्यक्ष निदेशक (प्रशासन और सतर्कता)—सदस्य परिचर्या सलाहकार—सदस्य संबंधित उप-निदेशक, प्रशासन (चिकित्सा)—सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए-12018/4/94-आर आर/एम.ई. (यूजी)]

आर. रामामूर्ति, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 11th December, 1995

G.S.R. 563.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Male Health Supervisor in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi (Male Health Supervisor) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Male Health Supervisor	1 (One) (1995)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Not applicable.

सत्यापित

07-12-19

सहायक निदेशक

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No	18—25 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limt shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2. In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(i) Senior Secondary School Certificate (10+2) or its equivalent; (ii) Certificate/Diploma in any of the following courses : (a) Sanitary Inspector's Course; or (b) Vaccination Supervisor's Course; or (c) Health Inspector's Course; and (iii) 2 years experience in the relevant field. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste/Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in [illegible] the case of promotees	Period of probation [illegible] any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion,deputation/transfer to be made
9	10	11	12
Not applicable	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	Transfer on deputation : Officers from the departments of the Central Government — (a) (i) holding analogous posts on regular basis ; (ii) with three years regular service in the posts in the scale of Rs. 1350—2200; or (iii) with four years regular service in the posts in the scale of Rs. 1320–2040; or (iv) with five years regular service in the posts in the scale of Rs. 1200–2040; and

12
(b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (8). (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department in the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.) (The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee, exists what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Departmental Promotion Committee (For considering confirmation of direct recruits). 1. Deputy Director General (Medical)—Chairman 2. Director (Administration and Vigilance)—Member 3. Nursing Advisor—Member 4. Deputy Director Administration (Medical) concerned—Member	Not applicable.

[No. A-12018/4/94-RR/ME/UG)]

R. RAMAMURTHY, Desk Officer.

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 564—खनन पट्टा (उपबन्धों का संशोधन) नियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस खान मंत्रालय की अधिसूचना सं० 11 (36) /77 खान 5 / खान 6 / एम एम दिनाक 8 जून, 1978 और इसके शुद्धिपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 1978 का अधिक्रमण करते हुए, श्री एन. एम. संगोदे की खनन पट्टा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में, केन्द्र सरकार श्री एन. एम. संगोदे क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को दिनांक 1-12-1995 (पूर्वान्ह) से खनन पट्टा नियंत्रक, नागपुर के रूप में नियुक्त करती है। वह अगले आदेशों तक भारतीय खान ब्यूरो में अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त खनन पटटा नियंत्रक की ड्यूटी भी करेंगे।

2. श्री संगोदे खनन पट्टा नियंत्रक सम्पूर्ण भारत के लिए होंगे।

[सं. 13 (3) /95 खान – 6]

रूप नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 22nd November, 1995

G.S.R. 564.—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Mining Leases (Modification of Terms) Rules, 1956 and in supersession of this Ministry's Notification No. 11(36)/77-M5/M6/MM, dated 8th June, 1978 and corrigendum dated 18th Octorber, 1978, in so far as it relates to the appointment of Shri N. M. Sangode, as Controller of Mining Leases, the Central Government is pleased to appoint Shri N. M. Sangode, Regional Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines, as Controller of Mining Leases, Nagpur w.e.f. 1-12-1995 (F.N.). He will perform the duties of Controller of Mining Leases in addition to his duties in the Indian Bureau of Mines until further orders.

2. Shri Sangode, will be the Controller of Mining Leases for whole of India.

[No. 13(3)/95-M-VI.]

ROOP NARAYAN, Under Secy.

सत्यापित